

तारीख
क्रमांक

25/10
2024

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील
अपार्षीत जमान हेतु समझ पाई है जमान
हेतु 08/10/24 को अख्तार और रिफ जाकर
मैरान सिंग 02/12/24 को पेटा है

02/12
2024

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील
अपार्षीत जमान हेतु समझ पाई है जमान
हेतु 08/10/24 को अख्तार और रिफ जाकर
मैरान सिंग 30/12/24 को पेटा है

आज 11/12/24 एम./एस.डा.एम
साहब के पास पर हैं।
श्री इलाहा की जकर पत्रावली
तारीख 24/11/24 विशाल।

01/24
2025

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील
अपार्षीत जमान हेतु समझ पाई है जमान हेतु
08/10/24 को अख्तार और रिफ जाकर मैरान
सिंग 19/02/25 को पेटा है

13/2025

02 पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील अपार्षीत
जमान हेतु को अख्तार और रिफ जाकर श्री जमान
पेटा नहीं किया है सिहाण इत्यादि जमान जमान
करने का अख्तार बंद किया जाता है अपार्षीत
संख्या 1 के विरुद्ध लम्पसुफ कार्यवाही की जाती है
पतावली पेटा बहद सिंग 07/03/25 को पेटा है

05/2025

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त पतावली
बहद सिंग 16/04/25 को पेटा है

16/2025

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील
जहाँ बहद हेतु समझ पाई है समझ रिफ
जाकर मैरान सिंग 07/05/25 को पेटा है

07/2025

पतावली पेटा हुई। बकील जहाँ उक्त बकील
जहाँ बहद हेतु समझ पाई है बहद हेतु
अख्तार और रिफ जाकर मैरान सिंग
08/08/25 को पेटा है

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जिल्ला मुकाम
जिल्ला ब-नाम फरीद खाँ
क्रमांक 1/3 212 RTA/2022 सं 20 सन् 2022

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>06.06.2025 पत्रावली आज पेश हुई। वकील जर्षी उपस्थित। वकील जर्षी की बरस सुनी गयी। वकील जर्षी ने अपनी बरस में निवेदन किया कि ख न-518 की भूमि जर्षीगण 1ता 3 एवं अजर्षीगण के संयुक्त बड़े काश्त की भूमि हैं। ताइ खा के कौत होने पर अजर्षीगण ने जर्षीगण का नाम छोड़ते हुए अजर्षीगण अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया, जो अविधि है। जर्षीगण का इस भूमि पर 1/6वां हिस्सा निहित है। अतः जर्षीगण के पक्ष में अजर्षीगण के विरुद्ध अस्थाकी निषेधपत्र जारी रखाने की हुपा करावी। वकील जर्षीगण की बरस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध उस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील जर्षीगण की बरस एवं पत्रावली में उपलब्ध उस्तावेजात के आधार पर अस्थाकी निषेधपत्र के तीनों बिन्दु उपमम दुदुया मामला, पुविषा का संतुलन एवं अपूरणीय झूठे जर्षी के पक्ष में सिद्ध नहीं होते हैं। अतः जर्षीगण का जर्षीगण-पद अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल बुझार लेबर दर्ज नम्बर से कम बेबर बाए तकमील शखिउ इफतर है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे- इजलास सुनाया गया।</p>	

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)